

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)  
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्र.क.: 990 / 2014

संस्थित दि: 29 / 10 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

**विरुद्ध**

गौरव वैध पिता गरीबदास वैध, उम्र 30 साल, जाति महार,

निवासी वार्ड नं. 05 उकवा थाना रूपझर, जिला बालाघाट(म.प्र.)

— — — — — आरोपी

—:: उर्पापण — आदेश ::—

(आज दिनांक 26 / 11 / 2014 को उपार्पित किया गया)

(01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मर्ग क्रमांक 33 / 14 धारा 134 जार्वों की मृतिका भारती वैध में जांच के दौरान मृतिका के पिता मंगलदास, माँ कविता गोंडाने, भाई प्रशांत गोंडाने, शेख सरीफ, मसूरखान के कथन लेख किये गये तथा घटनास्थल पर पाये गये साक्ष्यों एवं पी.एम.रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर पाया गया कि मृतिका आरती वैध का विवाह दिनांक 16.05.2011 को गौरव वैध निवासी उकवा के साथ जाति रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। विवाह में मृतिका आरती वैध को उसके मायके पक्ष व रिश्तेदारों द्वारा हैसियत के अनुसार दान दहेज का सामान दिया गया। शादी के दो माह बाद से मृतिका के पति गौरव वैध के द्वारा मोटरसाइकिल शादी में नहीं दिये कहकर मांग करने लगा व प्रताड़ित करने लगा। मृतिका के पिता ने गौरव वैध को एक साल पहले स्कूटी

मोटरसाइकिल खरीद कर दी थी, उसके पश्चात् भी मृतिका के पति द्वारा पोल्ड्री फार्म खोलने के लिये एक लाख रुपये की मांग की जाने लगी। शादी के दो माह बाद से ही दहेज की मांग को लेकर मृतिका का पति गौरव वैध मृतिका के साथ मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। मृतिका के पिता के द्वारा गौरव वैध को समझाये जाने के पश्चात् भी निरन्तर मृतिका को दहेज व पैसे की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता रहा। घटना दिनांक को मृतिका की उसके विवाह से सात वर्ष के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में जल जाने से ईलाज के दौरान फौत हो गई। सम्पूर्ण मर्ग जांच, शव पंचनामा, पी.एम.रिपोर्ट, मृतिका के मायके पक्ष के कथनों के आधार पर आरोपी गौरव वैध के विरुद्ध अपराध क्रमांक 110/14 अन्तर्गत धारा 304बी भा.दं.वि. एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3, 4 के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी गौरव वैध को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी गौरव वैध के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304बी एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3, 4 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया।

(04) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304बी एवं 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराओं में से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304बी माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

(05) आरोपी को धारा 207 द0प्र0स0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गईं।

(06) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे।

(07) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध होने से उसका कमीटल वारंट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक

10.12.2014 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक, उपजेल बैहर को निर्देशित किया जाता है।

(08) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नायब नाजिर, बैहर की अभिरक्षा में होने से उक्त संपत्ति माननीय न्यायालय के समक्ष आगामी नियत तिथि के पूर्व प्रस्तुत करने हेतु नायब नाजिर, बैहर को निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

आदेश मेरे उद्बोधन पर  
टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)